

# कार्यालय सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार संभाग, रायपुर (छ.ग.)

नस्ती क्रमांक .....

पृष्ठ क्रमांक .....

विषय :- मालयान क्रमांक .....का मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 79/ 87 (बी) में विहित प्रावधानों के अंतर्गत स्थायी / अस्थायी अनुज्ञापत्र स्वीकृति बाबत ।

1. आवेदक श्री .....द्वारा उसकी मालयान क्रमांक .....अवधि .....से .....के लिये स्थायी / अस्थायी अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने बाबत आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में विहित शुल्क की राशि रु. ....चालान क्रमांक .....दिनांक .....को जमा कर प्रस्तुत किया गया है । जिसका चालान रिकनसाईल दिनांक .....को किया गया ।
2. पंजीयन पुस्तिका के अनुसार वाहन का मॉडल .....है, तथा भार वहन क्षमता .....कि.ग्रा. है । वाहन का सकलभार भार .....कि.ग्रा. लदान रहित भार .....कि.ग्रा. है ।
3. वाहन का चेसिस क्रमांक .....एवं वाहन का इंजन क्रमांक .....है ।
4. वाहन की पंजीयन तिथि .....है ।
5. बीमा की वैधता .....है ।
6. फिटनेस की वैधता .....है ।
7. इस पंजीकृत वाहन पर पंजीयन तिथि से किसी भी प्रकार का कर बकाया नहीं है, एवं त्रैमासिक कर दिनांक .....तक जमा है ।
8. वाहन स्वामी के स्वामित्व के पूर्व मालयान परमिट की जानकारी .....एवं वाहन की संख्या .....
9. प्रस्तुतकर्ता :-  
आवेदक का नाम श्री .....मोबाईल नं. ....  
वाहन स्वामी के प्रतिनिधि का नाम .....मोबाईल नं. ....

प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है ।